दैनिक
न्याय साक्षी

महत्वपूर्ण एवं खास

विचाराधीन बंदी दीपक मराठा की मृत्यु के संबंध में तथ्य एवं जानकारी 10 जून तक एसडीएम कार्यालय रायगढ़ में करा सकते है उपलब्ध

रायगढ़ । कलेक्टर भीम सिंह द्वारा विचाराधीन बंदी दीपक मराठा आ. पिताम्बर मराठा उम्र-24 वर्ष निवासी-चपले थाना-खरसिया हा.मु.अम्बेडकर नगर काजुबाड़ी सरिया जिला-रायगढ़ जो कि माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीन सारंगढ़ द्वारा 4 जून 2020 को उप जेल सारंगढ़ में प्रविष्टि हुआ था उनके द्वारा पाकशाला से लगे गैस रूम में अपने कपड़े के गमछे से फंदा बनाकर फांसी लगा लेने से 10 जून 2021 को मृत्यु होने पर निष्पक्ष जांच एवं मृत्यु का सही कारण जानने हेतु अनुविभागीय दण्डाधिकारी सारंगढ़ को दण्डाधिकारी जांच हेतु निर्देशित किया गया है। जिस किसी व्यक्ति के पास उक्त घटना से संबंधित कोई तथ्य या जानकारी हो कार्यालयीन समय में कार्यालय अनुविभागीय दण्डाधिकारी सारंगढ़ जिला-रायगढ़ में उपस्थित होकर 10 जून 2021 तक उपलब्ध करा सकते है।

बलपुरी गौठान में होगा वृहद वृक्षारोपण, महापौर एवं आयुक्त ने लिया जायजा

रायगढ़। नगर निगम महापौर जानकी काट्जू एवम आयुक्त आशुतोष पांडेय अपनी टीम के साथ संबलपुरी गौठान निरीक्षण एवं पूर्व नियोजित योजनाओं की समीक्षा के लिए पहुंचे। संबलपुरी गौठान में बन रहे शेड कंपोस्ट पीट पानी की व्यवस्था चारे की व्यवस्था का जायजा लेते हुए केयरटेकर एवं गौ सेवा समिति पशु विभाग के कर्मचारियों से मिलकर मवेशियों के संबंध में जानकारी ली। पुराने कार्यों की समीक्षा करते हुए नई योजनाओं पर चर्चा की गई ,वही पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में जनप्रतिनिधियो एवम शहर के गणमान्य नागरिकों उद्योगपतियों के हाथों वृक्षारोपण कार्यक्रम की योजना बनाई। विदित हो कि छत्तीसगढ़ का पहला गौ अभ्यारण्य रायगढ़ शहर के संबलपुरी में बनने के बाद आवारा मवेशियों का जीवन संरक्षित हो गया शहर में बड़े वाहनों की चपेट में आकर कई मवेशियों ने अपना जान गवा दिया किंतु छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के महत्वाकांक्षी योजना नरवा गरवा घुरवा बारी योजना अंतर्गत छत्तीसगढ़ की प्राचीन परंपरा को पुनः स्थापित कर छत्तीसगढ़ वासियों को नई पहचान दी।शहर अंतर्गत गौठान, गोधन न्याय योजना के क्रियान्वयन के लिए नगर निगम के आयुक्त आशुतोष पांडेय कलेक्टर के निर्देशन में शहरी गौठान संबलपुरी में स्थापित किए जो 19 एकड़ में फैला हुआ पशुओं के चारा पानी के साथ अनुकूल वातावरण में स्थित है। वर्तमान में कलेक्टर भीम सिंह के निर्देशन में नगर निगम पशु विभाग वन विभाग और कृषि विभाग की सामंजस्यता के साथ गौठान संचालित हो रही है। आज महापौर जानकी काट्जू एवं आयुक्त आशुतोष पांडेय एल्डरमेन वसीम खान,प्रभारी महामंत्री शाखा यादव,ई ई नित्यानंद उपाध्याय,सब इंजीनियर सूरज देवांगन , स्वास्थ्य निरीक्षक राजू पांडे रमेश ताती के साथ निरीक्षण किया महापौर ने गौवंशो के साथ चारागाह ,चारे काटने की मशीन, जपस्थित डॉक्टर,एवम सेवको से मिलकर वस्तुस्थिति को जाना और ब्यवस्था देखकर प्रशंसा ब्यक्त की।वही नगर निगम द्वारा आयोजित 5 जून पर्यावरण दिवस के अवसर को यादगार बनाने वृक्षारोपण का कार्यक्रम की तैयारियों का भी जायजा लिया। महापौर जानकी काट्जू ने बताया कि आज हमने गौठान का निरीक्षण किया गौवंशो के लिये की गई चारे पानी शेड आदि ब्यवस्थाये सुनियोजित है,मुख्यमंत्री जी के गौधन न्याय एवं गौठान योजनाओं का सफ्ल क्रियान्वयन नजर आता है।

राजीव गांधी न्याय योजना के संबंध में एसडीएम ने ली अनुविभाग स्तरीय राजस्व व कृषि अधिकारियों की बैठक

रायगढ़। छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी योजना राजीव गांधी न्याय योजना अन्तर्गत धान के स्थान पर अन्य फसल कोदो-कुटकी, गन्ना, अरहर, मक्का, सोयाबीन, दलहन, तिलहन, सुगंधित धान अन्य फोर्टिफाइड धान केला, पपीता लगाने वाले कृषकों का पंजीयन 01 जून से 30 सितंबर 2021 तक किया जाना है।

कलेक्टर भीम सिंह के निर्देशन में रायगढ़ विकासखण्ड में योजना का शत-प्रतिशत क्रियान्वयन सुनिश्चित हो इसके लिए गत दिवस एसडीएम युगल किशोर उर्वशा ने उप संचालक कृषि सभागार रायगढ़ में ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों एवं हल्का पटवारियों की संयुक्त बैठक ली। उन्होंने कहा कि इसका उद्धेश्य फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करना, फसल क्षेत्राच्छादन, उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि फसल के कास्त लागत की प्रति पूर्ति कर कृषकों को शुद्ध आय में वृद्धि करना, कृषकों को कृषि में अधिक निवेश के लिए प्रोत्साहन, कृषि को लाभ के व्यवसाय के रूप में पुर्नस्थापित करते हुए जी.डी.पी. में कृषि क्षेत्र की सहभागिता में वृद्धि करना है।

राजीव गांधी न्याय योजना अन्तर्गत खरीफ 2021 से धान के साथ-साथ खरीफ प्रमुख फसल मक्का, कोदो कुटकी, सोयाबीन, अरहर, तथा गन्ना उत्पादक को राशि 9000 रू. प्रति एकड़ आदान सहायता राशि दी जायेगी। वर्ष 2020-21 में जिस रकबे से किसान द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान विक्रय किया गया था यदि वह धान के बदले कोदो कुटकी, गन्ना, अरहर, मक्का, सोयाबीन, दलहन-तिलहन सुगंधित धान अन्य फोर्टिफाईड धान केला, पपीता लगता है अथवा वृक्षारोपण करता है तो उसे प्रति एकड़ 10000 रू. आदान सहायता राशि दी जावेगी। वृक्षारोपण करने वाले कृषकों को तीन वर्षो तक आदान सहायता राशि दी जाएगी। एसडीएम उर्वशा ने रायगढ़ विकासखण्ड के सभी सोसायटी में इस योजना के संबंध में बैठक आयोजित करने और सोसायटी अधीनस्थ गांवों के कृषकों को बैठक में आमंत्रित करके योजना की जानकारी देने को कहा। ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी एवं पटवारी गांवों में कृषकों से सहमति प्राप्त करें। राजीव गांधी न्याय योजना का लाभ प्राप्त करने वाले कृषकों का निर्धारित समयावधि में राजीव गांधी किसान न्याय योजना के पोर्टल में पंजीयन करें। पंजीयन की अंतिम तिथि 30 सितंबर निर्धारित है। योजना के पोर्टल में पंजीकृत कृषकों को नोडल बैंक के माध्यम से किश्तो में आदान सहायता राशि सीधे बैंक खाते में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण की जायेगी। एसडीएम ने उपस्थित सभी कर्मचारियों को राजीव गांधी न्याय योजना का प्रचार-प्रसार गांवों में कर सभी पात्र कृषकों को लाभान्वित करने के निर्देश दिये।

बैठक में अनुविभागीय कृषि अधिकारी हरीश कुमार राठौर, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी ए.के.एस.बनाफर, कृषि विकास अधिकारी, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, राजस्व निरीक्षक एवं हल्का पटवारी उपस्थित थे।

सरफिरे युवक ने दो मोटरसाइकिल पर लगाई आग, आगजनी का मामला दर्ज

रायगढ़। पुलिस चौकी रैरूमाखुर्द अन्तर्गत ग्राम जगड़ा में रहने वाला दिलीप लकडा उम्र 34 वर्ष द्वारा दिनांक 03/06/2021 को चौकी रैरूमाखुर्द में रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 02/06/2021 को अपने सीजी डीलक्स मोटरसाइकिल क्रमांक सीजी 13 एएम 7951 में गांव के ललित पन्ना के साथ नहाने नाला गया था। नाला के पास सुबह करीब 11:00 बजे बस्ती तरफ से एक व्यक्ति मोटर साइकिल से आया और इन्हें देखकर मोटर साइकिल को रोककर पेट्रोल खत्म हो गया है कहकर पेट्रोल मांगा तो उसे नाम पता पूछे तो अपना नाम विनोद पन्ना जमनीपाली कोरबा का रहने वाला बताया। ये लोग उसे अपने मोटरसाइकिल से आधा लीटर पेट्रोल निकाल कर दिये तो वह और पेट्रोल मांगने लगा तो तब दिलीप और नहीं दे सकते बोले जिस पर विनोद पन्ना झगड़ा करने लगा और अपने बैग से टांगी से निकाल कर इनके मोटरसाइकिल के टंकी को मारने लगा , जिसे मना करने पर पेट्रोल क्यों नहीं दे रहे हो कहते मारने के लिए दौड़ आया तो ये लोग भागे। उसी समय इनके पहचान के बबलू उर्फ जयप्रकाश यादव टीवीएस अपाचे 180 मोटरसाइकिल में रूबिन तिर्की, प्रकाश किस्पोट्टाटा के साथ से वहां आया जिन्हें भी झगड़ा कर टांगी से मारने के लिए दौड़ाने लगा, उनके वहां से भागने के बाद विनोद पन्ना उन दोनों के मोटर सायकल को आग लगा दिया। दिलीप लकड़ा के रिपोर्ट पर आरोपी के विरूद्ध अप.क्र. 102/2021 धारा 435 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।

चेम्बर के सदस्यों ने डॉ. शक्राजीत नायक के घर पहुंच कर दी विनम्र श्रद्धांजलि

रायगढ़। पूर्व मंत्री डॉ. शक्राजीत नायक के घर पहुंच कर छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कामर्स के प्रदेश उपाध्यक्ष सुशील रामदास सहित चेम्बर के प्रदेश मंत्री शक्ति अग्रवाल, राजेन्द्र अग्रवाल, राजेश अग्रवाल, बजरंग महामिया, अनिल गर्ग, प्रदीप श्रृंगी आदि ने शोक जताते हुए कहा कि पूर्व मंत्री डॉ. शक्राजीत नायक का दुःखद निधन छत्तीसगढ़ की अपूर्णीय क्षति है। उन्होंने कहा कि सही मायने में वे जनता के नायक थे। वे जनता के समस्याओं के निराकरण के लिए हर वैधानिक स्तर पर प्रयास करते थे और समस्याओं का निराकरण भी प्रस्तुत करते थे। उनकी आभूषण विद्वता तो थी ही, उनकी व्यवहार कुशलता और दूरदर्शिता के कारण वे आम जन मानस में काफी लोकप्रिय थे। उनका जाना सिर्फ राजनैतिक क्षति ही नहीं है, अपितु एक उत्कृष्ठ विद्वान, एक असाधारण व्यक्तित्व का साधारण व्यक्ति और एक कुशल मार्गदर्शक को समाज ने खोया दिया है। जो कि रायगढ़ सहित प्रदेश के लिए अपूरणीय क्षति है। छत्तीसगढ़ चेम्बर के सदस्यों ने रायगढ़ के विधायक प्रकाश नायक से मिलकर उनके घर पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि चेम्बर परिवार अत्यंत दुःख के साथ शोक प्रकट करते हुए परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि उनके आत्मा की शांति प्रदान करें और इस दुःख की घड़ी में परिजनों को शक्ति दें।

सोसायटी में धांधली की शिकायत करने की धमकी देकर 5 हजार की मांग

सोसायटी संचालक के शिकायत पर अजय साहू और उसके साथी चंद्रकांत साहू गिरफ्तार

धरमजयगढ़। थाना सारंगढ़ क्षेत्र के ग्राम गोड़म निवासी अजय कुमार साहू और ग्राम साल्हे निवासी मुकेश साहू पिछले वर्ष सितंबर 2020 में ग्राम पंचायत झिलगीटार डोमाडिह पंचायत के सरपंच को गोठान निर्माण कार्य में अनियमितता बरतने की शिकायत करने की धमकी देकर ?30,000 की मांग किए थे जिसकी रिपोर्ट सरपंच द्वारा पुलिस चौकी कनकबीरा में कराये जाने के बाद दोनों आरोपी रिमांड बाद जेल गए थे। अजय कुमार साहू जमानत पर है जिसके विरुद्ध फिर से डरा धमकाकर रुपए मांग की शिकायत हुई है।

दिनांक 02/06/2021 को थाना धर्मजयगढ़ अंतर्गत ग्राम पंचायत दर्री शासकीय उचित मूल्य की दुकान चलाने वाले शिशुपाल गुप्ता द्वारा अजय कुमार साहू एवं उसके साथी चंद्रकांत साहू के द्वारा मोबाइल पर सोसाइटी में धांधली का आरोप लगाकर शिकायत करने की धमकी देकर 5,000 रुपए की मांग किए जाने की लिखित शिकायत आज दिनांक 04/06/2021 को थाना धरमजयगढ़ में अजय कुमार साहू व चंद्रकांत साहू के विरुद्ध किया गया है। थाना प्रभारी धर्मजयगढ़ निरीक्षक अंजना केरकेट्टा द्वारा दोनों आरोपियों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 107/2021 धारा 384, 34 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया।

पीड़ित शिशुपाल गुप्ता बताया गया कि दिनांक 02/06/2021 को उसके मोबाइल पर गांव के शुभम गुप्ता का फोन आया जो चंद्रकांत साहू और अजय गुप्ता से बात कराया। दोनों एक-दो दिन पहले धरमजयगढ़ क्षेत्र में आकर रुके हुए थे। अजय और चन्द्रकांत फोन पर सोसाइटी में चावल, शक्कर की धांधली कर रहे हो। लोगों को राशन ठीक से नहीं बांट रहे हो, ज्यादा रेट में समान दे रहे हो शिकायत करने पर बदनाम हो जाओगे तुम्हारा सोसाइटी बंद हो जाएगा कहकर 5,000 रुपए की मांग किये और पैसा नहीं देने पर ऊपर शिकायत कर सोसाइटी बंद करवा देने की धमकी दिए। थाना प्रभारी धर्मजयगढ़ द्वारा आज अपराध पंजीबद्ध के बाद दोनों की धरमजयगढ़ क्षेत्र में पतासाजी कर हिरासत में लिया गया। आरोपी 1-अजय कुमार साहू पिता बरजू लाल साहू उम्र 30 वर्ष निवासी गोडम थाना सारंगढ़ 2- चंद्रकांत साहू पिता राजेश साहू उम्र 23 साल निवासी पहन्दा थाना केडार से पूछताछ करने पर अपना जुर्म कबूल किये है, दोनों अपने आप को प्रेस से जुड़ा होना बता रहे हैं।जिसकी सत्यता की जांच की जा रही है। दोनों आरोपियों को आज दोपहर गिरफ्तार कर जेएमएफसी घरघोड़ा के न्यायालय रिमांड पर भेजा गया है।

शासकीय एवं प्राइवेट अस्पतालों में स्थापित फायर फायटिंग सिस्टम के निरीक्षण व निगरानी हेतु विकास खण्डवार टीम गठित

रायगढ़। कलेक्टर भीम सिंह ने कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु रायगढ़ जिले के समस्त शासकीय/प्राइवेट अस्पतालों में स्थापित फायर फायटिंग सिस्टम के निरीक्षण एवं निगरानी हेतु अधिकारी एवं कर्मचारियों की टीम गठित की है। गठित टीम को अपने क्षेत्र के प्रत्येक शासकीय एवं प्राइवेट अस्पतालों का निरीक्षण व निगरानी करते हुये प्रत्येक माह के 5 तारीख तक निरीक्षण प्रतिवेदन कलेक्टर कार्यालय में अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना होगा।

रायगढ़ शहरी में कार्य.अभि.सीएसईबी सुनील साहू, सीपीएम डॉ.राकेश वर्मा, लोक निर्माण विभाग मुकेश कुमार एवं स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम जी.ईश्वर राव की ड्यूटी लगाई गई है। इसी तरह रायगढ़ ग्रामीण बीपीएम वैभव दिवोडिया, सीएसईबी के कार्यपालन अभियंता गुंजन शर्मा, अनुविभागीय अधिकारी पीडब्ल्यूडी के.पी.राठौर एवं उपअभियंता नगर पालिक निगम ऋषि राठौर, पुसौर में बीपीएम पुसौर नवीन शर्मा, सहायक यंत्री सीएसईबी रामकुमार राव, अनुविभागीय अधिकारी पी.डब्ल्यूडी चंद्रिका पटेल एवं उप अभियंता नगर पंचायत पुसौर ऋषिकेश पटेल, तमनार में बीपीएम तमनार श्रीमती मंजूलता, जूनियर इंजी.श्री अविष्कार तिग्गा, अनुविभागीय अधिकारी पीडब्ल्यूडी वि.यां.श्री आर.डी.पटेल एवं उप अभियंता पीडब्ल्यूडी तमनार ध्रुव कुमार प्रधान, सारंगढ़ में बीपीएम सारंगढ़ केशव जायसवाल, सहायक यंत्री सीएसईबी पी.सी.महानंदा, सहायक अभियंता, लोक निर्माण विभाग सारंगढ़ आदित्य ग्रोवर, उप अभियंता नगर पालिका परिषद सारंगढ़ तरकेश्वर नायक, खरसिया में बीपीएम खरसिया भास्कर देवांगन, सहायक यंत्री सीएसईबी बलराम साहू, सहायक अभियंता लोक निर्माण विभाग खरसिया सी.के.साहू, उप अभियंता नगर पालिका परिषद खरसिया निखिल जोशी, लैलूंगा में बीपीएम लैलूंगा अश्वनी साय, सहायक यंत्री सीएसईबी पंकज पुष्पाकर, अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग रमाशंकर साहू, उप अभियंता नगर पंचायत लैलूंगा अमित एक्का, धरमजयगढ़ में बीपीएम धरमजयगढ़ सूरज पटेल, सहायक यंत्री सीएसईबी राजेन्द्र कुजूर, सहायक अभियंता लोक निर्माण विभाग धरमजयगढ़ जी.के.शर्मा, उप अभियंता नगर पंचायत धरमजयगढ़ विवेक रंजन तिर्की, बरमकेला में बीपीएम बरमकेला नंदलाल इजारदार, कार्यपालन अभियंता सीएसईबी बरमकेला बसंत सोम, उप अभियंता लोक निर्माण विभाग बरमकेला शैलेन्द्र पटेल तथा घरघोड़ा में बीपीएम घरघोड़ा घनश्याम प्रधान, सहायक यंत्री सीएसईबी सतीश ठाकुर, उपअभियंता लोक निर्माण विभाग घरघोड़ा जगन प्रसाद खुटे, उप अभियंता नगर पंचायत घरघोड़ा अजय प्रधान को टीम में शामिल किया गया है।

जारी है अवैध महुआ शराब के विरूद्ध जिला पुलिस की कार्रवाई

» कोतवाली पुलिस उर्दना डिपापारा में पकड़ी 60 लीटर महुआ शराब

» जूटमिल पुलिस के हाथ आये आज दो और आबकारी एक्ट के आरोपी, 32 लीटर महुआ शराब की जप्ती

» घर में शराब बेचने की सूचना पर कोसीर पुलिस की रेड, 12 लीटर महुआ शराब के साथ आरोपी गिरफ्तार

रायगढ़। रायगढ़ जिले के विभिन्न थानाक्षेत्र अन्तर्गत अवैध शराब पर कार्यवाही जारी है। ग्राम उर्दना में अवैध महुआ शराब की बिक्री की शिकायत पर कोतवाली टीआई मनीष नागर के हमराह लगातार स्टाफ कार्यवाही कर रही है। आज दिनांक 04/06/2021 को उर्दना के डिपापारा में रहने वाली अनिता कुजूर द्वारा अवैध रूप से महुआ शराब बिक्री करने की सूचना पर महिला स्टाफ के साथ उर्दना में दबिश दिया गया। आरोपिया अनिता कुजूर पति सेलवेस्टर कुजूर उम्र 45 वर्ष के पास से 60 लीटर महुआ शराब जप्त किया गया है। कोतवाली थाने में आरोपिया पर धारा 34(2),59 (क) आबकारी एक्ट की कार्यवाही कर आरोपिया को रिमांड पर भेजा गया है।

जूटमिल टीआई अमित शुक्ला के नेतृत्व में आज भी चौकी के प्रधान आरक्षक मो.दिलदार कुरैशी, आरक्षक बनारसी सिदार, सत्या यादव, कीर्तन यादव एवं महिला आरक्षक सरिता विश्वास द्वारा ग्राम छातामुड़ा ओड़ियापारा में रहने वाले पूर्णा सवरा के घर मुखबीर सूचना पर रेड किया गया। आरोपी पूर्णा सवरा पिता साहबो सवरा 34 वर्ष महुआ शराब बिक्री की सूचना जूटमिल पुलिस को मिली थी जो अवैध रूप से बिक्री के लिए शराब घर पर रखा था। रेड कार्यवाही में आरोपी के कब्जे से 2 प्लास्टिक बोरी वाले झोला में अलग-अलग डब्बा में रखा कुल 17 लीटर हाथ भट्टी का बना महुआ शराब को जप्त किया गया है।

एक अन्य कार्यवाही में जूटमिल पुलिस द्वारा मुखबिर सूचना पर विभीषण महंत पिता शिवप्रसाद महंत उम्र 27 वर्ष साकिन सांगी तराई डिपापारा के कब्जे से कुल 15 लीटर महुआ शराब की जप्ती की गई है। दोनों आरोपियों के विरूद्ध धारा 34(2),59 (क) आबकारी एक्ट की कार्यवाही कर आरोपियों को न्यायालय रिमांड पर भेजा गया है।

कोसीर थाना प्रभारी निरीक्षक रूपेन्द्र नारायण साय के हमराह में पेट्रोलिग स्टाफ ग्राम दहिदा में मुखबीर सूचना पर श्याम लाल जांगडे के घर शराब रेड कार्रवाई किया गया। आरोपी श्यामलाल जांगड़े पिता देव राम जांगड़े उम्र 32 वर्ष साकिन दहिदा थाना कोसीर के कब्जे से 12 लीटर महुआ शराब की जप्ती कार्रवाई में हुई है। आरोपी के खिलाफ थाने में धारा 34(2),59(क) आबकारी एक्ट की कार्यवाही कर आरोपी को रिमांड पर भेजा गया। अन्य थानों में आबकारी एक्ट की कार्यवाही गई है, जब्त शराब की मात्रा 5 लीटर से कम के होने पर उनका उल्लेख नहीं किया गया है।

मछली पालन से उजाला स्व-सहायता समूह की जिंदगी में आई उजियारा

» घर एवं समाज में भी दूसरों के लिये मिसाल बनी महिलाएं

रायगढ़। बिहान योजना से जुड़ी महिलाए आज के दिन में अभिशरण के द्वारा ना ही सिर्फ समाज और ग्रामीण क्षेत्र का नया चेहरा बन रहीं है लेकिन आजीविका को नया रूप देकर अपने परिवार को आर्थिक सुरक्षा प्रदान कर रहीं है। उजाला समूह की महिलायें मछली पालन कर अपने जिंदगी में उजियारा ला रही है। ऐसा करके वे घर एवं समाज में भी दूसरों के लिये मिसाल बन रही है।

ननसिया पंचायत के ननसिया गांव के उरांव पारा में रहने वालीं 10 महिलाएं 2018 में जब बिहान योजना के तहत महिला स्व-सहायता से जुड़ी तो उन्हें अपने आर्थिक स्थिति को सुधारकर कुछ आजीविका करने की प्रेरणा मिली। यह प्रेरणा दूसरे समूह को देखकर मिली और उन्होंने एक ऐसी आजीविका चुनी, जिससे उनके समूह के सभी सदस्य साथ मिलकर अपने पारिवारिक आर्थिक स्थिति को सुधार सकें और वो आजीविका थी मछली पालन का।

प्रदान संस्था द्वारा समूहों और ग्राम संगठनों के आजीविका प्रशिक्षण के बाद ननसिया गांव के महिला ग्राम संगठन में आजीविका के चर्चा के दौरान मछली पालन एक लाभदायक विकल्प के रूप में सामने आया और उजाला स्व-सहायता समूह ने गांव के 6 तालाब में से अपने मोहल्ले के एक तालाब को लीज पर लेने की बात रखी। प्रदान संस्था, मत्स्य पालन विभाग, ग्राम संगठन और अपने निरंतर प्रयास से उजाला स्व-सहायता समूह को तालाब लीज पर मिल गया। उजाला समूह अपने गांव के गोठान में 7 डिसमिल में सब्जी की खेती भी कर रहे है।

मई 2020 को उजाला ग्राम संगठन ने अपने मछली पालन के सफर को शुरू किया। मिश्रित प्रकार के 14 किलो फिंगरलिंग्स (अंगुलिका)1.5 एकड़ में डाला। उन्होंने समूह में तालाब में मछली के लिए चारा डालने की योजना बनाई। सप्ताह में 4-5 दिन 5 किलो चारा अपनी जिम्मेदारी अनुसार समूह की सदस्य डाला करते थे। समूह में निरंतर बैठक करते हुये योजना बनाकर मछली पालन को सामूहिक रूप से एक आजीविका गतिविधि बनाने का प्रयास किया। एक साल में उजाला समूह ने तालाब से 2.5 क्विंटल का उत्पादन किया और 27,000 रुपये तक लाभ कमाया। अभी एक क्विंटल लगभग स्टॉक में मछली है जिनको आगे के समय में बेच कर और भी ज्यादा लाभ कमाने की योजना है।

उजाला समूह के सदस्य बताते है की मछली पालन से न ही सिर्फ उनके जीवन में आजीविका का एक नया विकल्प बन कर आया लेकिन गांव वालों के नजर में महिलाओं के स्व-सहायता समूह के क्षमता को निखारते हुए सकारात्मक सोच में बदलाव लाने में मदद की है। पहले मछली पालन के लिए तालाब पुरुषों को दिए जाते थे पर अब अभिशरण से मत्स्य पालन के सरकारी योजना के तहत प्राथमिकता अनुसार सरकारी तालाब स्व-सहायता समूहों को आवंटित किये जाने से ग्रामीण विकास का नया पहलु सामने आया है। जिससे गांव की महिलाएं भी अब मछली पालन कर आजीविका के नए अवसर तैयार कर रही हैं।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com RNI NO :- CHHHIN/2018/76480